

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-व-15(13)आरपीए/जन/2025/6026

दिनांक:- 01-11-2025

खुली बोली आमंत्रण सूचना

संस्था स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में साफ-सफाई एवं अन्य सामान उपयोग हेतु सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु दर संविदा किये जाने हेतु मूल निर्माता अधिकृत विक्रेता, बोनाफाईड डीलर, एम.एस.एम.ई. एवं अन्य प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबन्द बोलियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं तथा इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 01.11.2025 से 12.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक डाउनलोड कर प्रातः 12.30 बजे तक टेण्डर बॉक्स में जमा करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत वार्षिक (राशि रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	संस्था स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आवश्यक साफ-सफाई हेतु एवं अन्य सामान क्रय किया जाना प्रस्तावित है। पार्ट:- ए के अनुसार	9.50 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत * 19000/- रुपये	500/- ₹0	12.11.2025 दोपहर 01.00 बजे

*-राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 1 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
संलग्न- बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एवं राज्यस्तरीय समाचार पत्र में जिसका परिचालन 50 हजार प्रतियों से अधिक हो, में प्रकाशित करावें।
- निजी सहायक, निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रभारी लेखा शाखा/ जनरल शाखा/प्रभारी स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रोग्रामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in), www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवम् शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

	नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नओवर प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
13.	वोलीदाता को वोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए (राशि रुपये 100/-के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं के हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)	
14.	2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 वित्तीय वर्षों का GST/ wait form 03 और I.T रिटर्न	

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।

निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

10. निविदा सूचना संख्या /2025-26 दिनांकराजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत हैं। निविदा की अन्य शर्तें, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।। निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

- कार्य का नाम:- संस्था में साफ-सफाई एवं अन्य सामग्री क्रय हेत निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26।
- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जाएँ।
- (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई-मेल सहित:-
ई-मेल आई.डी.....
(ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....मोबाईल नं.....
- निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रुपये 500/- का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/.....दिनांक.....संलग्न है।
- बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रु...../-का बैंकर चैक/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांकसंलग्न है।
- निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- निविदा पूर्ण रूप से सील पैक करके प्रस्तुत करनी होगी स्टेपलर से सील की हुई मान्य नहीं होगी
- निविदा खुलने की तिथि से दरों की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न कर पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है:-

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा शुल्क के डी.डी./चैक नम्बर	
2.	निविदा बोली प्रतिभूति राशि डी.डी./चैक नम्बर	
3.	फर्म का नाम एवं डाक का पता ई-मेल सहित व मोबाईल नं.	
4.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व मोबाईल नं.	
5.	निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है	
6.	फर्म का स्वरूप प्रोपराईटर/पार्टनरशिप/कम्पनी	
7.	दुकान वाणिज्य एक्ट का पंजीयन प्रमाण-पत्र	
8.	शॉप एक्ट सर्टिफिकेट नं.	
9.	किसी राजकीय कार्यालय/विभाग में संबंधित सामग्री संतोषप्रद सप्लाई किये जाने का गत दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश	
10.	फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
11.	PAN Card	
12.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में वार्षिक राशि 10.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर UDIN	

संस्था में साफ-सफाई सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसकी संविदा हेतु मोहरबन्द बोलियां के लिए बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

1. बोलियां ऑफलाईन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि-भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड और यदि वित्तीय बिड को पृथक-पृथक लिफाफो में रखा जावेगा यदि वित्तीय बिड को खुले रूप से तकनीकी बिड के साथ रखा गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी। अतः दोनो बिड को अलग-अलग लिफाफो मे रखा जाकर दोनो बिडो को एक तीसरे लिफाफे में रखा जावेगा।
2. बोलीदाताओं की बिड उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर बोलीदाताओं कि बिड निरस्त कर दी जावेगी, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
3. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी दस्तावेजों के साथ जमा कराना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
5. संस्था द्वारा जारी किये जाने वाले लिखित क्रयादेश की पालना में (निर्धारित अवधि में) ही सामग्री सप्लाई की जावें मौखिक आदेशानुसार सामान सप्लाई करने पर बिल का भुगतान देय नहीं होगा।
6. घटिया, दोषपूर्ण/असंगत सामग्री की आपूर्ति पर बिना अतिरिक्त शुल्क के तत्काल प्रतिस्थापन अनिवार्य होगा।
7. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
8. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य-सम्पादन प्रतिभूति (MSME-1% , रूग्ण उद्योग-2%) राशि अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- सकेगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
 10. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
 11. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
 12. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।
 13. उपापन की जाने वाली सेवाओं हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
 14. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
 15. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/ कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
 16. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
 17. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-24 व 2024-25 में राशि रुपये 10.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। (सी.ए. द्वारा जारी किये गये गए प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो) संलग्न करना अनिवार्य है।
 18. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है। (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
 19. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)

20. अनुबन्धकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी। अकादमी द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान/हर्जाना देय नहीं होगा।
21. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
22. उपाप्त की जाने वाली सामग्री/सामान हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
23. निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
24. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है।
25. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार (यदि लागू हो) तो पृथक-पृथक दर्शाया जावे। प्रभार पृथक से नहीं दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सहित मानी जाएंगी। नियमानुसार जी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।
26. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।
27. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
28. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
29. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
30. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
31. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक "स")। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रुपये 2500/- एवं राशि रुपये 10000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

32. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
33. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।
34. संस्था द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले कार्यादेश की पालना में सामान सफ़ाई करना अनिवार्य होगा।
35. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है एवं नियमानुसार वसूली की जायेगी।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%
36. संविदा अवधि में संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।


सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

परिशिष्ट "द" (प्रथम)
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ. व. एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द" (द्वितीय)

शपथ पत्र

मैं:—

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जप्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता—

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

पार्ट-A वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	सामग्री विवरण (आवश्यकतानुसार)	दर प्रति ईकाई	जीएसटी	कुल योग जी.एस. टी. सहित
1.	वीम बार 250 ग्राम			
2.	क्रोलिन 500एमएल			
3.	रूम स्प्रे रोज 200 एमएल			
4.	काला हीट 200 एमएल			
5.	आल आउट मशीन एल्ट्रा पावर व रिफिल 45 एम एल			
6.	आल आउट रिफिल 45 एम एल			
7.	हैण्ड वॉश डिटॉल लिक्विड 200 एम एल			
8.	पौचा डस्टर कॉटन 24X24" ऑफ व्हाइट			
9.	ऑडोनिल 50 ग्राम			
10.	कपूर गोली लाल 1 किलो पैक			
11.	कपूर गोली सफेद 1 किलो पैक			
12.	हारपिक लिक्विड 500 एमएल			
13.	लाईजोल लिक्विड 500 एमएल			
14.	यूरिनल मैट पैकेट ऑफ 6 मल्टीकलर			
15.	टायलेट रोल पेपर पैकेट 2 प्लाई चौड़ाई 8 सेमी 230 फुल प्रति रोल			
16.	हैण्डवाश रिफिल डिटॉल 175 एमएल			
17.	टॉयलेट ब्रुश ल 48 सेमी चौ 5 सेमी ब्रुश लं 10 सेमी प्लास्टिक			
18.	तेजाब 1 लीटर			
19.	स्कॉच वाश स्टेनलेश स्टील			
20.	टिशू पेपर किचन टावल 2 प्लाई 60सीट प्रति रॉल			

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

21.	टिशू पेपर स्टैण्ड			
22.	फिनायल 1 लीटर			
23.	वाईपर बडे ल 46 सेमी			
24.	नारियल तेल			
25.	डिटोल हैंडवॉश शॉप 100 ग्राम			
26.	ओसवाल साबुन 1 किलो			
27.	पीयर्स शॉप 100 ग्राम			
28.	क्लनिंग टावल मल्टी कलर साईज 25X25 ; सेमी माईक्रोफाईबर			
29.	सर्फ एक्सल पाउडर			
30.	पानी कैम्पर 10 ली / पानी कैम्पर 5 ली			
31.	वायरलेस बैल वाटर प्रूफ, रेंज 1000 फिट			
32.	चाय थर्मस 1 लीटर स्टैनलेस स्टील उचाई 31 सेमी चौ 8.6 सेमी			
33.	स्टील पानी बोटल 1 लीटर स्टैनलेस स्टील उचाई 32 सेमी चौ 9 सेमी			
34.	वर्दी कवर चौ 24 इंच ल 34 इंच			
35.	वर्दी स्टील हंगर चो 16 इंच उ 6 इंच			
36.	कांच की बोटल उ. 21.5 सेमी, चौ. 7.5 सेमी एयरटाइट लीड स्पीलप्रूफ पारदर्शी 750 एमएल			
37.	प्लास्टिक पानी बोटल उ. 27 सेमी, चौ. 6.5 सेमी हाईजेनिक एवं ब्रिक प्रूफ, मल्टीकलर 1000 एमएल			
38.	कांच के गिलास पारदर्शी 295 एमएल विजन गिलास, लाईट वेट			
39.	ट्रे ल. 21 इंच, चौ. 10 इंच लाईट वेट प्लेन टाईप			
40.	कोस्टर सैट राउंड सैफ, मेलागाईन, पैक ऑफ: 6			
41.	कप सैट 180 एमएल व्हाइट विद गोल्ड लाईन			

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

पैक ऑफ 6			
42.	प्लास्टिक बाल्टी मय हैंडल, उ. 31.4 सेमी, डाय 36 सेमी, क्षमता 20 ली, मल्टीकलर		
43.	प्लास्टिक मग मल्टी कंलर, उ. 12 सेमी, डाय 13 सेमी क्षमता 500 एमएल		
44.	पायदान मोटेला क्राफ्ट एन्टी स्लीप बेकिंग मोटाई 12 एमएम मल्टी कलर जूट पायदान मोटाई 12 एमएम		
45.	डस्टबीन बडा प्लास्टिक क्षमता 80 लीटर उ. 90 सेमी, चौ 40 सेंमी ऑपन टॉप मल्टीकलर		
46.	डस्टबीन बडा प्लास्टिक क्षमता 60 लीटर उ. 60 सेमी, चौ 40 सेंमी ऑपन टॉप मल्टीकलर		

नोट :- जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मोबाइल / दूरभाष:-.....

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... DatedI/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....
.....

Place

Date

Appellants Signature